न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर, जिला छतरपुर, म0प्र0
(समक्ष :: श्रीमती निशा गुप्ता)

—: नि र्ण य :—
(आज दिनांक 01.03.2024 को घोषित)

Registration No S.T. 56/ 2022
Filing No S.T. 1098/ 2022
CNR No. MP -1605-001458-2022
Filling Date-18/10/2022

(प्र.सू.रि. 67/2022, अपराध धारा 376, 323, 506 भाग–2 भादंवि. पुलिस थाना बमनौरा जिला छतरपुर म.प्र.)

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा– थाना प्रभारी, पुलिस थाना बमनौरा
जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश)

.... अभियोजन

अभियोजन द्वारा श्री धीरज तिवारी अपर लोक अभियोजक।

विरूद्ध

भूपत कुशवाहा पिता खुमना कुशवाहा आयु 50 करीब वर्ष
निवासी ग्राम स्वारा थाना बमनौरा, जिला छतरपुर म.प्र.

.... अभियुक्त

अभियुक्त की ओर से श्री मुफीद खान अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	08.07.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	15.07.2022
आरोप पत्र की तारीख	13.09.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	09.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	12.12.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	29.02.2024
निर्णय की तारीख	01.03.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

Contd. ---- 2

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	भूपत कुशवाहा	26.08.2022	29.10.2022	धारा 376, 323, 506 भाग–2 भादंवि	दोषमुक्ति	–	कुल 2 माह 3 दिवस

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	अभियोक्त्री	पीड़िता/रिपोर्टकर्ता
अ.सा. 2	अच्छेलाल कुशवाहा	अन्य साक्षी
अ.सा. 3	सौरभ वैध	पटवारी साक्षी
अ.सा. 4	डॉ. के.पी. बामौरिया	चिकित्सक साक्षी
अ.सा. 5	राजकपूर सिंह बघेल	पुलिस साक्षी
अ.सा. 6	स्वर्णप्रभा दुबे	पुलिस साक्षी
अ.सा. 7	डॉ. आरती बजाज	चिकित्सक साक्षी
अ.सा. 8	हीराबाई कुशवाहा	अन्य साक्षी
अ.सा.9	राघवेंद्र सिंह	पुलिस साक्षी
अ.सा. 10	अरविंद जैन	अन्य साक्षी

प्रतिरक्षा साक्षियों की सूची

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1, अ.सा. 1	लिखित आवेदन
2.	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	मेडीकल हेतु सहमति

Contd. -----3

4.	प्रदर्श पी. 4/अ.सा. 1	नक्शामौका
5.	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 1	धारा 164 दंप्रसं. के कथन
6.	प्रदर्श पी. 6/अ.सा. 1	पुलिस कथन
7.	प्रदर्श पी. 7/अ.सा. 2, अ.सा. 7	नजरी नक्शा
8.	प्रदर्श पी. 8/अ.सा. 2, अ.सा. 8	पंचनामा
9.	प्रदर्श पी. 9/अ.सा. 2	पुलिस कथन
10.	प्रदर्श पी. 10/अ.सा. 4	अभियुक्त की चिकित्सीय रिपोर्ट
11.	प्रदर्श पी. 11/अ.सा. 4, अ.सा. 5	पहचान फॉर्म
12.	प्रदर्श पी. 12/अ.सा. 5	गिरफ्तारी पत्रक
13.	प्रदर्श पी. 13/अ.सा. 5	मुलाहिजा फॉर्म
14.	प्रदर्श पी. 14/अ.सा. 5	ड्राफ्ट
15.	प्रदर्श पी. 15/अ.सा. 5	एफएसएल रसीद
16.	प्रदर्श पी. 16/अ.सा. 5	एफएसएल परीक्षण रिपोर्ट
17.	प्रदर्श पी. 17/अ.सा. 5	जप्ती पत्रक
18.	प्रदर्श पी. 18/अ.सा. 5	एफएसएल रसीद
19.	प्रदर्श पी. 19/अ.सा. 6	मेडीकल परीक्षण हेतु मुलाहिजा फॉर्म
20.	प्रदर्श पी. 20/अ.सा. 6	प्रथम सूचना रिपोर्ट की काउंटर प्रति
21.	प्रदर्श पी. 21/अ.सा. 7	चिकित्सीय रिपोर्ट
22.	प्रदर्श पी. 22/अ.सा. 8	पुलिस कथन
23.	प्रदर्श पी. 23/अ.सा. 9	जप्ती पत्रक
24.	प्रदर्श पी. 24/अ.सा. 9	जप्ती पत्रक
25.	प्रदर्श पी. 25	डी.एन.ए. रिपोर्ट

प्रतिरक्षा

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	निरंक	

न्यायालयीन प्रदर्शः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	निरंक	

आवश्यक वस्तुएंः–

सं.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
	निरंक	

1. अभियुक्त भूपत कुशवाहा पर भा.दं.वि. की धारा – 376, 323, 506 भाग–2 भादंवि. के तहत दण्डनीय अपराधों के अंतर्गत आरोप हैं कि दिनांक 08.07.2022 के दिन के करीब 4 बजे फरियादिया का खेत ग्राम स्वारा पर पीड़िता/फरियादिया उम्र लगभग 35 वर्ष के साथ जबरन संभोग कर बलात्संग कारित कर अभियोक्त्री की डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छापूर्वक

Contd. -----4

साधारण उपहति कारित कर भयभीत करने के आशय से रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री को दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधान एवं माननीय र्स्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप पहचान प्रकट न किये जाने के दृष्टिगत निर्णय की अग्रिम चरणों में अभियोक्त्री लेखबद्ध किया जा रहा है।

3. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के मध्य राजीनामा होने से आरोपी को भा.दं.वि. की धारा 323, 506 भाग–2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

4. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.07. 2022 को अभियोक्त्री/फरियादिया ने थाना बमनौरा उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पर इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह ग्राम स्वारा में रहती है उसके पति दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। दिनांक 08.07.2022 के दिन के करीब 4 बजे की बात है वह अपने खेत पर बकरी चराने गयी थी तभी उसके गांव का भूपत कुशवाहा उसके खेत पर आकर उसका हांथ पकड़कर उसे खीचने लगा तो उसने आरोपी भूपत कुशवाहा को चिल्लाया फिर उसने उसे एक डंडा मारा जो उसके बांये पैर की पिडली में लगा फिर आरोपी भूपत ने उसे जमीन पर पटककर उसके साथ गलत काम बलात्कार किया। वह उससे छूटकर चिल्लाई और भागने लगी तो भूपत ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया या रिपोर्ट की तो से जान से मार देगा। फिर उसने अपने घर जाकर अपने पति को फोन लगाकर पूरी बता बताई फिर उसके पति कल दिल्ली से घर वापस लौटकर आये तो उसके पति के साथ में रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री/फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बमनौरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 67/22 पर अंतर्गत धारा 376, 323, 506 के तहत अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई। दौरान विवेचना अभियोक्त्री की एमएलसी कराई जाकर स्लाईड तैयार की गई, घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्तशुदा माल एफएसएल ग्वालियर भेजा गया अभियुक्त भूपत कुशवाहा को दिनांक 26.08.2022 को गिरफ्तार किया गया एवं प्रकरण में अन्य सम्पूर्ण विवेचना की कार्यवाही एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 376, 323, 506 के तहत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्त पर धारा 376 भादंवि के अपराध के आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किया जाना अस्वीकार किया।

6. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उद्भूद होते हैं :–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.07.2022 को दिन के करीब 4 बजे फरियादिया का खेत ग्राम स्वारा पर अभियोक्त्री उम्र करीब 35 वर्ष के साथ जबरन संभोग कर बलात्संग किया ?

Contd. -----5

(2) निष्कर्ष एवं दंडादेश ?

–: निष्कर्ष व उसके आधार :–

विचारणीय प्रश्न क्र.01 का निराकरण :–

7. अभियोक्त्री अ.सा. 1 ने लगभग 5–6 माह पूर्व दिन के 4–5 बजे अपने खेत पर होने और उसकी बकरियों के आरोपी भूपत के खेत पर चले जाने से अभियुक्त से वाद विवाद होने पर वाद विवाद के संबंध में थाना बमनौराकला में जाकर आवेदन देने से आवेदन पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 की लेख कराकर मेडीकल परीक्षण जिला अस्पताल छतरपुर में होने का कथन किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूंछने पर साक्षी ने 08. 07.2012 को दिन के करीब 4 बजे बकरी चराते समय अभियुक्त द्वारा आकर हांथ पकड़कर खीचकर जमीन पर पटकने बलात्संग करने और बलात्संग की घटना के संबंध में आवेदन प्र.पी. 1 का दिये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस द्वारा पूंछताछ करने तथा पुलिस के कहने पर न्यायालय में धारा 164 दंप्रसं. के कथन दिया जाना बताया है। अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा बलात्संग की घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

8. अभियोक्त्री के पति अ.सा. 2 ने अभियुक्त और अभियोक्त्री के मध्य बकरियां चराने को लेकर वाद विवाद होने तथा अभियुक्त द्वारा मारपीट करने से मारपीट की रिपोर्ट थाने में किये जाने का कथन किया हैं साक्षी से सूचक प्रश्न पूंछने पर साक्षी ने अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के जमीन पर पटककर बलात्कार कर घटना की जानकारी देने और जानकारी देने से रिपोर्ट कराने के उपरांत पुलिस द्वारा पूंछताछ किये जाने से इंकार किया है। अभियोक्त्री की सास अ.सा. 8 ने भी अभियोक्त्री द्वारा घटना के संबंध में जानकारी देने से इंकार किया हैं। साक्षीगण घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे तथा अभियोक्त्री के द्वारा घटना की जानकारी देने से इंकार करने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

9. डॉ. आरती बजाज अ.सा. 7 ने दिनांक 15.07.2022 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय में पदस्थ होने और थाना बमनौरा द्वारा महिला आरक्षक के अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती संभोग करने की जानकारी देने और महिला के विवाहित होने से परीक्षण में हाल ही में हुये संभोग के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिये जा सकने से दो बैजाईनल स्लाईड बनाकर शीलबंद कर आरक्षक को सुपूर्द कर रिपोर्ट प्र.पी. 21 की तैयार किये जाने का कथन किया है।

10. डॉ. के.पी. बामौरिया अ.सा. 4 ने दिनांक 26.08.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ामलहरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर थाना बमनौरा के आरक्षक 933 द्वारा अभियुक्त को परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण के दौरान कोई आंतरिक और बाहरी चोट नहीं पाये जाने और परीक्षण में अभियुक्त के संभोग करने में सक्षम पाये जाने से रिपोर्ट प्र.पी. 10 की तैयार किये जाने का कथन किया है। साक्षी ने दिनांक 18.04.2023 को थाना बमनौरा द्वारा डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने के संबंध में पहचान फॉर्म प्र.पी. 11 का तैयार किये जाने का कथन किया है।

11. सौरभ वैद्य अ.सा. 3 ने दिनांक 27.07.2022 को पटवारी हल्का नंबर 4 तहसील घुवारा में पटवारी के पद पर पदस्थ होकर अपराध क्र. 67/22 में घटना स्थल जाकर पंचाग व साक्षियों के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 7 का तैयार कर मय पंचनामे के तहसीलदार को भेजे जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में नक्शे में खसरे नंबर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी का उल्लेख नहीं होने के सुझाव को स्वीकार किया है।

12. स्वर्णप्रभा दुबे अ.सा. 6 ने दिनांक 15.07.2022 को थाना बड़ामलहरा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर पुलिस कंट्रोल रूम छतरपुर एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिला संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना बमनौरा पहुचने पर निर्देशित किये जाने पर लिखित आवेदन पत्र प्र.पी. 1 पर से अपराध क्र. 67/22 पर प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर मेडीकल परीक्षण के लिये प्र.पी. 3 की सहमति प्राप्त कर सहमति उपरांत मेडीकल परीक्षण कराकर अभियोक्त्री के कथन लेख कर न्यायालय में कथन कराने हेतु भेजे जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री और अभियुक्त के खेत पास पास होने के संबंध में कोई जानकारी न होने का कथन किया है।

13. राघवेंद्र सिंह अ.सा. 9 ने थाना बमनौरा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होकर दिनांक 16.07.2022 को महिला आरक्षक प्रीति के द्वारा अभियोक्त्री की बैजाईनल स्लाईड मय शील नमूने के शीलबंद पैकिट में पेश करने से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 23 का तैयार कर दिनांक 26.08. 2022 को आरोपी की सीमन स्लाईड मय शील नमूने के पेश करने से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 24 का तैयार किये जाने का कथन किया है।

14. अरविंद अ.सा. 10 ने बमनौरा पंचायत में सरपंच के पद पर पदस्थ होकर अभियोक्त्री की साथ हुई घटना के संबंध में अभियोक्त्री के बताये अनुसार थाना बमनौरा के थाना प्रभारी को संबोधित आवेदन प्र.पी. 1 का लेख किये जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में आवेदन प्र.पी. 1 में अंगूठा निशानी किस व्यक्ति का है का उल्लेख नहीं होने के सुझाव को स्वीकार किया है। अभियोकत्री ने साक्षी के माध्यम से आवेदन लिखाये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। स्वर्णप्रभा दुबे ने भी फरियादी द्वारा

आवेदन अन्य किसी व्यक्ति से लेख कराये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। लिखित आवेदन पत्र प्र.पी. 1 में निशानी अंगूठा किस व्यक्ति का लगाया गया है का कोई नाम लेख नहीं है। स्वयं अभियोक्त्री ने ही अभियुक्त के द्वारा बलात्संग की घटना कारित करने के संबंध में आवेदन लेख कराये जाने से इंकार किया है। जिससे साक्षी अरविंद के कथन के आधार पर प्र.पी. 1 का आवेदन लिखे जाने के संबंध में अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

15. राजकपूर सिंह अ.सा. 5 ने दिनांक 15.07.2022 को थाना बमनौरा में उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर अपराध क्र. 67/22 की विवेचना के दौरान घटना स्थल पर पहुचकर अभियोक्त्री की निशादेही और साक्षीगण के समक्ष धटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 का तैयार कर साक्षी अच्छेलाल, हीराबाई, लाल्ले, अरविंद जैन के कथन उनके बताये अनुसार लेख कर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 12 का तैयार कर मेडीकल परीक्षण कराने के उपरांत जप्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल ग्वालियर ड्राफ्ट प्र.पी. 14 के माध्यम से भेजकर रसीद प्र.पी. 15 की प्राप्त कर एफएसएल परीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्र.पी. 15 एवं 16 की प्राप्त करने का कथन किया है। साक्षी ने एफएसएल परीक्षण में मानव शुक्राणु पाये जाने से डीएनए परीक्षण कराने हेतु आरोपी का दो एमएल रक्त नमूना संग्रहण करने के लिये सुनील गौड़ द्वारा पहचान फार्म प्र.पी. 11 का तैयार कर लैब टैक्निशयन अमित असाटी द्वारा रक्त नमूना लेकर पेश करने से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 17 का तैयार कर डीएनए परीक्षण हेतु सामग्री भेजकर रसीद प्र.पी. 18 की तैयार किये जाने का कथन किया है।

16. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ कोई जोर जबरदस्ती और बलात्संग नहीं किया गया है। अभियोक्त्री अ.सा. 1 ने घटना के समय उसकी बकरियां आरोपी के खेत में घुस जाने से वाद विवाद होने पर अभियुक्त द्वारा मात्र मारपीट करने का कथन किया है। अभियोक्त्री ने ही अभियुक्त द्वारा जमीन पर पटककर जबरदस्ती बलात्संग करने से इंकार किया है। अभियोक्त्री ने धारा 164 दंप्रसं. के कथन पुलिस के दवाब में दिये जाने परंतु धारा 164 के कथन अनुसार कोई घटना न होने का कथन किया है। धारा 164 दंप्रसं. के कथन अभियोक्त्री ने अपनी मर्जी से देने से इंकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 164 दंप्रसं. के कथन सारभूत साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते है और उनका प्रयोग खंडन व सम्पुष्टि के लिये किया जा सकता है। विचारण के दौरान उपस्थित होने पर अभियोक्त्री ने ही अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती बलात्संग करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। जिससे अभियोक्त्री के कथन के आधार पर अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना दर्शित नहीं होता है।

Contd. -----8

17. अभियोक्त्री के पति अ. सा. 2 व अभियोक्त्री की सास ने अभियोक्त्री के अभियुक्त द्वारा बलात्संग करने की जानकारी देने से इंकार किया है। अभियोक्त्री के साथ घटना होते हुये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया है। घटना के पश्चात मेडीकल परीक्षण हेतु अभियोक्त्री को ले जाने पर चिकित्सक साक्षी ने परीक्षण पूर्व सहमति लिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। अभियोक्त्री अ.सा. 1 ने घटना के पश्चात दिनांक 15.07.2022 को लिखित आवेदन पत्र प्र.पी. 1 दिये जाने से इंकार किया है। लिखित आवेदन अभियोक्त्री की हस्तलिपि में नहीं है तथा आवेदन पत्र में निशानी अंगूठा लगाने वाले व्यक्ति का नाम भी अंकित नहीं है। विवेचक राजकपूर बघेल तथा प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता स्वर्णप्रभा दुबे के समक्ष फरियादी द्वारा आवेदन लेख कराया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है। स्वयं अभियोक्त्री और अभियोक्त्री के पति ने ही उसके कहे अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किये जाने से इंकार किया है। जबकि फरियादी के कथन अनुसार फरियादी द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्र.पी. 1 नहीं दिया गया है। उक्त स्थिति में लिखित आवेदन पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के तथ्य के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18. चिकित्सक साक्षी डॉ. आरती बजाज ने अभियोक्त्री के मेडीकल परीक्षण उपरांत बलात्संग होने के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिये जा सकने का कथन किया है। प्रधान आरक्षक राघवेंद्र सिंह ने अभियोक्त्री की बैजाईनल स्लाईड तथा अभियुक्त की सीमन स्लाईड को जप्त किये जाने का कथन किया है। स्लाईड को एफएसलए परीक्षण हेतु ग्वालियर भेजकर परीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्र.पी. 16 की प्राप्त होने तथा रिपोर्ट में स्लाईड पर मानव शुक्राणु पाये जाने से डीएनए परीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्र.पी. 25 की प्राप्त की गई है। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 25 में अभियोक्त्री की स्लाईड प्रदर्श ए से प्राप्त पुरूष वाय डीएनए प्रोफाईल आरोपी भूपत कुशवाहा के स्त्रोत रक्त नमूना प्रदर्श सी से प्राप्त पुरूष वाय डीएनए प्रोफाईल के समान नहीं पाई गई है। डीएनए परीक्षण में भी अभियोक्त्री और अभियुक्त के डीएनए प्रोफाईल भिन्न पाये गये हैं। जिससे रासायनिक परीक्षण से भी अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कर घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

19. अभियोक्त्री अ.सा. 1 ने अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती कर बलात्संग कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोक्त्री के पति अ.सा. 2 ने घटना के पश्चात घटना की जानकारी अभियोक्त्री द्वारा देने से इंकार किया है। अभियुक्त को घटना कारित करते हुये देखे जाने के संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं हैं। स्वर्णप्रभा दुबे, राजकपूर बघेल घटना के पश्चात के औपचारिक साक्षी हैं। चिकित्सक साक्षीगण तथा डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से भी अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्संग कर घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है और अभियोजन मामला संदेहास्पद हो जाता है।

Contd. -----9

20. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अभियुक्त भूपत कुशवाहा के विरूद्ध इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को दिनांक 08.07.2022 को दिन के करीब 04:00 बजे फरियादी का घर ग्राम स्वारा जबरदस्ती कर बलात्संग कारित किया। अतः आरोपी भूपत कुशवाहा को भा द वि की धारा 376 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21. अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22. दं.प्र.सं. की धारा 428 के तहत प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे।

23. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाये।

स्थान–बिजावर
दिनांक 01.03.2024

(श्रीमती निशा गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर जिला छतरपुर, (म.प्र.)